बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 301709 / पटना, दिनांक- 23/02/17

ग्रा0वि0-7(विविध)-16/2015

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,
निदेशक (सा0वा) ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अन्तर्गत Mission Water Conservation पर कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक- 294902 दिनांक01.11.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि "Mission Water Conservation - Natural Resource Management Framework under the MGNREGS within the overall framework of PMKSY." विषय पर कार्यशाला दिनांक- 06.03.2017 को आयोजित की जा रही है। कार्यशाला स्थल की सूचना अलग से दी जायेगी ।

Mission Water Conservation से संबंधित मार्ग निर्देश पूर्व में विभागीय पत्रांक 291824 दिनांक 23.11.2016 के द्वारा आपको प्रेषित की गई है । पुन: इसकी प्रति संलग्न की जा रही है ।

बिहार राज्य अंतर्गत सात जिलें यथा बेगूसराय, दरभंगा, जमुई, खगडिया, मधेपुरा, पूर्णियॉ एवं समस्तीपुर के सभी प्रखंडों को Irrigation Deprived श्रेणी में रखा गया है । Irrigation Deprived का तात्पर्य यह है कि इन जिलों में Surface Irrigation के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है । चूंकि इन जिलों में Ground Water Resource उपलब्ध है, इस लिए मनरेगा योजना से Natural Resource Management(NRM) श्रेणी अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित कार्य कराने की अपार संभावना है । मनरेगा अंतर्गत Tubewell एवं Borewell के कार्य नहीं कराये जा सकते, जिसके लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एवं लघु सिंचाई विभाग की योजना के तहत इस प्रकार के कार्य कराये जाना संभव है एवं उक्त कार्यो से Ground Water का स्तर नीचे नहीं जाय, इसके लिए मनरेगा अंतर्गत
NRM से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यो से वर्षा से प्राप्त जल संरक्षण और Water Recharge के लिए संरचनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है । विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में Irrigation Deprived जिलों में कम से कम 65 प्रतिशत कार्य लागत के रूप में कार्यान्वित किया जाना है ।

Mission Water Conservation के मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए महात्मा गॉधी नरेगा के श्रम बजट में सम्मिलित Natural Resource Management(NRM) कार्यो को District irrigation Plan (DIP)का भाग बनाना अनिवार्य है । इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 के श्रम बजट के निर्माण हेतु निर्गत पत्र में जो निदेश दिये गये हैं ।

बिहार राज्य में उपर्युक्त वर्णित 7 Irrigation Deprived जिलों के अलावा 14 जिलों(सूचि संलग्न) में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत IWMP के अधीन जल संरक्षण से संबंधित कार्य किये जा रहे है, ये जिला निम्न प्रकार से है ।

राज्य के सभी जिलों द्वारा श्रम बजट के निर्माण के समय विभाग द्वारा निर्गत निदेश का ख्याल रखा गया होगा और मनरेगा अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों का जिला सिंचाई योजना का भाग बनाया गया होगा । Mission Water Conservation से संबंधित कार्यों का चयन तथा योजना बनाने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया और इस उदेश्य के प्राप्ति के लिए चयनित कार्यों के संबंध में निम्न जिलों द्वारा कार्यशाला में प्रस्तुतीकरण की जायेगी ।

1. मधेपुरा, 2. जमुई, 3. गया, 4. नालंदा, 5. रोहतास 6. बेगूसराय 7. समस्तीपुर

कार्यशाला में Irrigation Deprived सभी सात जिलों के उप विकास आयुक्त तथा प्रस्तुतीकरण हेतु चयनित जिलों के उप विकास आयुक्त एवं कार्यपालक / सहायक अभियंता भाग लेंगे । सभी जिलों से मनरेगा के दो कार्यक्रम पदाधिकारी, एक तकनिकी पदाधिकारी एवं IWMP / PMKSY / कृषि विभाग के एक-एक पदाधिकारी भाग लेंगे । संबंधित पदाधिकारी को आपके स्तर से सूचित किया जा सकता है ।

अनुरोध है कि Mission Water Conservation कार्यशाला से संबंधित Power Point Presentation की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुतीकरण करने वाले जिले दिनांक- 02.03.2017 तक निश्चित रूप से विभागीय ई-मेल आई0डी0 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

22.02

(सी0 पी0 खंडूजा)
निदेशक (सा0वा)

Rks